विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -/2004 अपील

A-1701-II/2004

श्री .... द्वारा आज दि० 27/12/04 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

27 DEC 2004

शीतल पुत्र श्री नथुआ, निवासी ग्राम रसल्ला तहसील बीना, जिला सागर (म0प्र0)

— -- -- अपीलार्थी

बनाम

1- ~~दौलत पुत्र श्री नथुआ,~~ Delete

2- गुमानपुत्र श्री नथुआ,
निवासीगण ग्राम रसल्ला तहसील बीना जिला सागर।

3- मध्य प्रदेश शासन -- प्रति-अपीलार्थीगण
द्वारा कलेक्टर सागर।

Amendment as per court order dated 24/2/11
(1) अखिलराज
(2) बुलाखन
(3) राजकुंवर पुत्रगण स्व. दौलत, निवासी ग्राम रसल्ला, तहसील बीना जिला सागर (म.प्र.)

अपील आधीन धारा 44 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक 9.11.2004, जो प्रकरण क्रमांक 251-अ/6/वर्ष 2003-2004 में न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा पारित किया गया।

--x--

महोदय,

अपीलार्थी की ओर से अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, अपीलार्थी एवं प्रति-अपीलार्थी क्रमांक-1 व 2 आपस में सौतेले भाई है और ग्राम रसल्ला में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 37/4 रकबा 1.43 हैक्टर तथा खसरा नं. 145/1 रकबा 0.02 हैक्टर, तथा खसरा नं. 150/1 रकबा 0.06 हैक्टर, कुल किता 3 एवं कुल रकबा 1.51 हैक्टर भूमि का वर्तमान प्रकरण में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील–1701–दो / 2004 जिला–सागर

शीतल विरूद्ध दौलत (कोत) आदि (विधिक वारिसान)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –10–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में अपीलार्थी श्री शीतल के अभिभाषक श्री आलोक शर्मा उपस्थित व शासकीय अभिभाषक श्री अजय निरंकारी के तर्क सुने गये । प्रत्यर्थी 1 व 2 पूर्व से एकपक्षीय । 2/ अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 251/अ–6/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2004 विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूसल्ला स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 3 कुल रकता 1.51 हैक्टेयर मनबाई के नाम दर्ज थी। मनबाई के मृत्यु उपरांत प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 दौलत व गुमान द्वारा नायब तहसीलदार बीना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि वे मनबाई के विधिक वारिसान है । अतः मनबाई के स्थान पर उनका नाम दर्ज किया जावे, जिस पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की । अपीलार्थी शीतल द्वारा भी पक्षकार उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो नायब तहसीलदार द्वारा मान्य किया गया । इसके उपरांत नायब तहसीलदार ने दिनांक 31.10.2001 को प्रश्नाधीन भूमि पर अपीलार्थी शीलत एवं प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2	

दौलत व गुमान का नाम अभिलेख में दर्ज किये जाने आदेश दिये। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के अनुक्रम में प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 दौलत व गुमान ने अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 09 / अ–6 / 2001–02 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2004 द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये अपीलार्थी शीतल का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया । इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 251 / अ–6 / 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2004 से यह निष्कर्ष निकालते हुये अपील अस्वीकार की है कि विधवा की मृत्यु के बाद उसका हित उत्तराधिकार द्वारा उसके पुत्र को जायेगा। सौतेला पुत्र अपनी मृत सौतेली माता के अंश का हकदार नहीं है। पुत्र में सौतेला पुत्र सम्मिलित नहीं । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है, जिसका अवलोकन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी शीतल स्व. नथुआ की पत्नी बारीबाई का पुत्र है तथा प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 दौलत व गुमान स्व. नथुआ की अन्य पत्नी मनबाई के पुत्र है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी

विदित होता है कि प्रश्नाधीन भूमि का पूर्व में बटवारा हो चुका था और किश्तबंदी खतौनी वर्ष 1999-2000 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में मनबाई बेवा नथुआ का नाम दर्ज है। चूँकि मनबाई स्व. नथुआ की पत्नी है और पति से प्राप्त भूमि के अंश पर पति के मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी का अधिकार बनता है अथवा पति से प्राप्त भूमि के अंश की विधवा भूमिस्वामी होगी। विधवा की मृत्यु के उपरांत ही उक्त भूमि अथवा सम्पत्ति पर उसके वैध उत्तराधिकारी का अधिकार होगा न की सौतेले पुत्र का । नायब तहसीलदार ने उक्त विधिक बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 के नाम अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने संशोधित कर अपीलार्थी का नाम अभिलेख से निरस्त कर प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 के नाम अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती, इसी कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से अपील अस्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड।

(आर.के. जैन)
सदस्य